



2026:AHC-LKO:8219-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन दोषपूर्ण संख्या - 163 सन 2025

जैनेन्द्र प्रताप सिंह

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	सोम कार्तिक शुक्ला
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

(सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2025 पर आदेश; विलंब की माफी हेतु आवेदन)

1. सुनवाई हुई।
2. आवेदक द्वारा जिस निर्णय के पुनरीक्षण की मांग की गई है, वह दिनांक 02.01.2023 का है। पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिनांक 23.09.2025 को दाखिल किया गया है। इस मामले में पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने में 965 दिनों का विलंब हुआ है। यद्यपि परिसीमा अधिनियम, 1963 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पारित निर्णय की पुनरीक्षण कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होता है, जैसा कि *श्रीमती मोहम्मद जहां बेगम और अन्य (एम/एस 349/2007) बनाम राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद और अन्य* के मामले में एकल न्यायाधीश पीठ के *पुनरीक्षण याचिका संख्या 329/2010 दिनांक 23.09.2016* के निर्णय में कहा गया है, फिर भी, विलंब एक ऐसा कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए और जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. हमने विलंब माफी के लिए दिए गए शपथ-पत्र का अध्ययन किया है, जिसमें विलंब की व्याख्या की गई है, लेकिन हमें यह व्याख्या इस अत्यधिक विलंब के लिए स्वीकार्य नहीं लगती। शपथ-पत्र में 12 प्रस्तर हैं। इसमें केवल अवसाद और साइटिका के दर्द का हवाला दिया गया है, जिसके कारण आवेदक बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ नुस्खे भी प्रस्तुत किए गए हैं। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उपर्युक्त बीमारियाँ इस प्रकार की थीं और इतने लंबे समय तक बनी रहीं कि आवेदक उपरोक्त निर्णय पारित होने के बाद उचित समय के भीतर पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं कर सका। अंतिम समय सीमा 31.07.2025 है। यदि उपर्युक्त समय सीमाओं को मान भी लिया जाए, तो सवाल यह उठता है कि 31.07.2025 के बाद पुनरीक्षण याचिका दायर करने तक की अवधि का क्या स्पष्टीकरण है? कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
4. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम इस अत्यधिक विलंब के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हमें इस पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। विलंब माफी आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, फलस्वरूप पुनरीक्षण आवेदन भी अस्वीकृत माना जाएगा।

[न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

फरवरी 3, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।